14201/RTI/2014
11/3/14.

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।

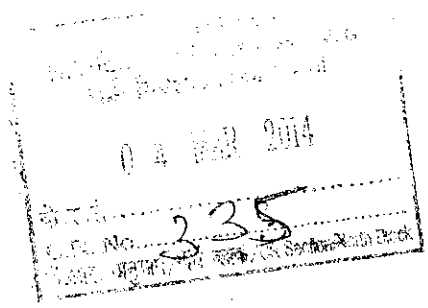

विषय :– सूचना के अधिकार के तहत जानकरी चाहने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में निम्नांकित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. विभिन्न प्राकृतिक/दैवीय आपदाओ के दृष्टिगत आपदा प्रभावितों के विस्थापन व पुनर्वास के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार की नीति का विवरण।
2. प्राकृतिक/दैवीय आपदा में पूर्ण/गम्भीर/आंशिक रूप से नष्ट हुए पक्के/कच्चे भवन, कृषि भूमि, मृतक व्यक्तियों/पशुओं इत्यादी के मुआवजे की दर अंतिम बार कब संशोधित की गयी और केन्द्र सरकार द्वारा दर तय करने के मानक क्या हैं?
3. प्राकृतिक/दैवीय आपदाओं में बेघर हुए लोगों को शरणार्थियों/environmental refugee की श्रेणी में रखा जाता है?
4. वर्तमान में क्षतिग्रस्त भवनों के मुआवजे के वितरण में प्रति भवन मुआवजे का प्राविधान है। जबकि कतिपय भवनों पर एक से अधिक परिवार निवास करते हैं। ऐसे में प्रत्येक बालिग सदस्य को इकाई मानने के बजाय एक भवन को एक ही इकाई मान कर मुआवजा वितरित करने का मानक किस आधार पर तय किया गया है?
5. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2014 तक प्रदेश में भू–स्खलन/भू–धंसाव आदि की दृष्टि से संवेदनशील/अति संवेदनशील कितने गांव/कस्बों के विस्थापन व पुनर्वास के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये हैं? राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्तावों पर की गयी कार्रवाई का विवरण?

28-02-2014

भवदीय

(अजेन्द्र अजय)
पुत्र श्री डी0पी0 भट्ट
मकान नं0–15, बी0
लेन नं0–1, शास्त्री नगर
देहरादून–248001
उत्तराखण्ड

E mail- ajendra9@gmail.com
दूरभाष– 08006866555

श्री.स. 69 (जारी)

सूचना का अधिकार/स्पीड पोस्ट

संख्या 40-14/2013/एनडीएम-I(भाग)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
आपदा प्रबंधन प्रभाग-I

***

'बी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001
दिनांक : 21 मार्च, 2014

24 MAR 2014

सेवा में,

श्री अजेंद्र अजय
मकान नं.15 बी, लेन नं.1, शास्त्री नगर
देहरादून-248 001

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलबध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 12.03.14 के पत्र संख्या ए-43020/01/2014-आरटीई का अवलोकन करें। उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए संबंधी सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। संदर्भित पत्र दिनांक 18.03.2014 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करना है कि आपके पत्र के मद सं. 1 एवं 2 का संबध इस अनुभाग से संबंधित है जिसकी सूचना नीचे दी जा रही है। पत्र के मद सं. 3 से 5 का संबंध उत्तराखंड सरकार से है। अतः आवेदन पत्र को उत्तराखंड सरकार को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है। आप उनसे सूचना सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

3. **पत्र की मद सं 1 एवं 2 संबंधी सूचना :** मद 1. आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार राज्य सरकार/राज्य आपदा प्रबंधन अभिकरण की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे किसी संभावित स्थिति को मानीटर और उसका आकलन करें। उनका यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वे स्थिति से निपटने के लिए अपनी निजी क्षमताओं का लगातार मूल्यांकन करें तथा केंद्रीय संसाधनों हेतु प्रत्याशित अपेक्षाओं को सही समय पर प्रक्षेपित करें। मद 2. मुआवजे की दरों में संशोधन एक समानांतर प्रक्रिया है। अभी हॉल ही में दिनांक 28 नवंबर, 2013 को इनमें संशोधन किया गया है (प्रति संलग्न है)।

(जारी पृष्ठ-2)

4. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी श्री जी.वी.वी. शर्मा, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, 'बी' विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 हैं |

भवदीय,

जी घोष

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं के.ज.सू.अ.
फोन नं. 2343 8123

संलग्नः यथोक्त

पत्र की प्रतिलिपि उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, 4 सुभाष रोड, देहरादून-248 001 | उक्त आवेदक के आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है| आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी को मद सं. 3 से 5 के संबंध में सूचना उपलब्ध करवा दें |

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री एस. सामंत, अवर सचिव (समन्वय), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में प्रेषित |

Issued on
R.B 4/12